बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्रांक– वि0 प्रा0(।।।) ब–06/2012– /पटना, दिनांक

प्रेषक

अतुल सिन्हा,
निदेशक

सेवा में,

अवर सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना

विषयः– वित्तीय वर्ष 2018–19 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय बजट के मुख्यशीर्ष–3451– सचिवालय आर्थिक सेवाएं, उपमुख्यशीर्ष–00, लघुशीर्ष–090–सचिवालय, मांग संख्या–43, उपशीर्ष–0003–विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग (विपत्र कोड 43–3451000900003) के अधीन आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–1433, दिनांक 08.06.2018 सहपठित प्रतिस्थानी आदेश दिनांक 26.06.2018 के द्वारा विभागान्तर्गत सात निष्प्रायोजित घोषित नीलामी करायी गयी वाहन के स्थान पर एक अदद् INNOVA CRYSTA ZX 7S (TV)White, एक अदद् INNOVA CRYSTA 2.4GX 8S (TV)White एवं एक अदद् ERTIGA VXI अर्थात कुल 03 (तीन) नये वाहन के क्रय हेतु क्रमशः रू० 21,70,538/– (इक्कीस लाख सत्तर हजार पाँच सौ अड़तीस रूपये) मात्र, रू० 16,64,048/–(सोलह लाख चौसठ हजार अड़तालीस रूपये) मात्र एवं रू० 8,32,720/– (आठ लाख बत्तीस हजार सात सौ बीस रूपये) मात्र अर्थात कुल रू० 46,67,306/– (छियालीस लाख सड़सठ हजार तीन सौ छः रूपये) मात्र (Registration सहित) की स्वीकृति तथा बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम प्राप्त कर वित्तीय वर्ष 2018–19 में संबंधित अधिकृत विक्रेता को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2018–19 में नियमानुसार व्यय हेतु विषयांकित बजटशीर्ष के अधीन 51 01 मोटरगाड़ी–कार्यालय विषयशीर्ष में वित्त विभाग के पत्रांक–16 C.F., दिनांक 22.06.2018 द्वारा बिहार आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम रू॰ 46,68,000=00 (छियालिस लाख अड़सठ हजार रूपये) मात्र का आवंटन प्रदान किया जाता है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या– 2561/वि॰(2), दिनांक 17.04.1998 में अंकित प्रावधानों के आलोक में दिया जा रहा है। अतएव उक्त परिपत्रों एवं वित्त विभाग के अन्य सुसंगत परिपत्रों में निहित दिशा–निर्देशों का अनुपालन निकासी एवं व्ययन के पूर्व निश्चित रूप से किया जाय।

3. उक्त आवंटित राशि का दूसरे मदों में अपवर्त्तन कदापि नही किया जाय।

4. विभिन्न विषयशीर्षो मे राशि की निकासी हेतु विपत्रों के उपस्थापन के क्रम में कृपया यह सुनिश्चित किया जाय कि विपत्रों पर विपत्र कोड/मुख्यशीर्ष/उपमुख्यशीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/मांग संख्या/कूट संख्या सहित विषयशीर्षों के नाम का सुस्पष्ट उल्लेख रहे ताकि महालेखाकार, बिहार, पटना के कार्यालय में विपत्रों के पोस्टिंग में सुविधा हो सके।

5. स्वीकृत्यादेश/ आवंटनादेश तथा विपत्रों के कोड संख्या अनिवार्य रूप से अंकित करने के संबंध में वित्त विभाग का पूर्व प्रेषित पत्रांक 280/ वि(2), दिनांक 29.03.2003 में अंकित दिशा–निर्देश का अनुपालन अक्षरशः किया जाय।

6. टी॰ भी॰ न॰ एवं तिथि सहित व्यय विवरणी प्रत्येक माह के 7 (सात) तारीख तक निश्चित रूप से महालेखाकार, बिहार, पटना एवं अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाय।

7. इसमें प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह॰/ –

(अतुल सिन्हा)
निदेशक

ज्ञापांक— वि0 प्रा0(III) ब—06/2012— /पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:— महालेखाकार (ले॰ एवं हक॰), बिहार, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/सचिव (व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ —

निदेशक

ज्ञापांक— वि0 प्रा0(III) ब—06/2012— /पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:— कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ —

निदेशक

ज्ञापांक— वि0 प्रा0(III) ब—06/2012— 16(M.I.) /पटना, दिनांक 4-7-2018

प्रतिलिपि:— माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/उप निदेशक (यो)/योजना सहायक/आई॰टी॰ मैनेजर (ई—मेल एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु)/एक अतिरिक्त प्रति गार्ड फाइल में संधारण हेतु (निर्गत शाखा), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03.07.18

निदेशक

03/07/18